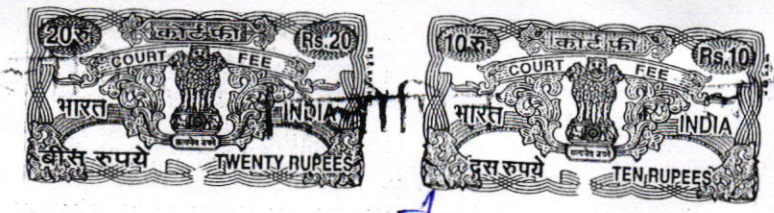

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

175

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग – 2480 – I – 16

1– रामदयाल रावत पुत्र मथुरा प्रथाद रावत

2– विण्डल रावत पुत्र रामदयाल रावत

3– हल्के रावत पुत्र रामदयाल रावत

4– जतन पुत्र रामदयाल रावत

निवासीगण– ग्राम डिगवार , तहसील सबलगढ , जिला मुरैना (म.प्र.) .... आवेदकगण

लखन सिंह धाकड़ 28.7.16

28.7.16

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
28/07/16

बनाम

इमरती बाई उर्फ रामबाई पत्नी होतम रावत , निवासी ग्राम – डिगवार, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना (म.प्र.) .... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय सबलगढ, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 02/10–11/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2016 के विरूद्ध नि गरानी प्रस्तुत।

श्रीमान् जीं,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 379/3, 504, 509/2, 732/1 एवं 797/123 कुल किता 5 कुल रकवा 1.00 हैक्टेयर भूमि ग्राम डिगवार, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना में स्थित है। विवादित भूमि के संबंध में अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय सबलगढ जिला मुरैना के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आथय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि पर निगरानीकर्तागण मुझे तथा बटाईदारों को खेती नहीं करने देते जिस पर से तहसील न्यायालय द्वारा बिना जॉच कराये सीधे गलत तरीके से भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत प्रकरण कमांक 02/10–11/अ–70 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही थुरू की गई ।

2. यह कि तहसील / विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुंचना पत्र जारी किया गया आवेदकगण द्वारा तहसील / विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदकगण के द्वारा अपना जवाब आवेदन का खण्डन करते हुये प्रस्तुत किया कि विवादित भूमियों का लगभग 19 बीघा का खाता था जिसके भूमि स्वामी स्व. मथुरा प्रथाद थे । स्व.

R-2840-I/16

-2-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2480–एक / 16

जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया एव उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, सबलगढ़ राजस्व वृत्त 02 द्वारा प्र0क0 02 / 10–11 / अ–70 में पारित आदेश दिनांक 23–7–16 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अनाधिकृत आधिपत्य हटाने के संबंध में है । तहसीलदार ने अनावेदिका के आवेदन को स्वीकार किया था जिसके विरूद्ध पथम अपील और द्वितीय अपील निरस्त की गईं प्रकरण राजस्व मंडल में आने पर राजस्व मंडल नके प्र.)क0 निग0 1600–एक / 15 में पारित आकदेश दिनांक 18–5–15 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयां के निर्णयों को स्थिर रखा है । इसके विरूद्ध आवेदकों को बेदखली का नोटिस दिया गया तब उनकी ओर से संहिता की धारा 32 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पस्तुत कर सिविल न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने तक कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया गया । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदकों द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत न करने से उनका उक्त आवेदन निरस्त किया है । तहसीलदार ने आलोच्य अंतरिम आदेश के	

R 2840/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन उपरांत यह पाया है कि आवेदकों ने अनावेदिका की भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसके लिए कब्जा वापिस दिलाने हेतु वांरट जारी कर थाना पभारी को लिख है । यह समस्त कार्यवाही विधिनुसार है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापिस हो । सदस्य	